



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

# छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

www.cghb.gov.in

संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र - महासमुंद



## अटल विहार योजना, मचेवा, महासमुंद

### (भवन आबंटन प्रति शुक्रवार भवन रिक्त रहने तक)



क्र.	कॉलोनी का नाम	भवन का प्रकार	उपलब्ध भवनों की संख्या	भू-खण्ड का क्षेत्र (वर्गफीट)	कुर्सी क्षेत्रफल (वर्गफीट)	भवन का मूल्य (लाख में)	पंजीयन राशि (लाख में)
1	अटल विहार योजना, (फेस-2)	एच.आई.जी. टाईप-2	14	2324.16	1213.94	38.37	3.84
		सिनि.एम.आई.जी. टाईप-1	12	1614.00	1429.68	33.81	3.38
		सिनि.एम.आई.जी. टाईप-2	12	1614.00	1050.93	28.02	2.80
		जूनि.एम.आई.जी. टाईप-1	22	1533.30	1212.43	28.67	2.87
		जूनि.एम.आई.जी. टाईप-2	20	1533.30	982.39	25.10	2.51
2	प्रधानमंत्री आवास योजना एल.आई.जी. (जी+3) फ्लैट	भूतल	06	698.75	419.00	8.90	0.50
		प्रथम तल	08	698.75	419.00	8.65	0.50
		द्वितीय तल	08	698.75	419.00	8.45	0.50
		तृतीय तल	08	698.75	419.00	8.25	0.50
3	प्रधानमंत्री आवास योजना ई.डब्ल्यू.एस. (जी+3) फ्लैट	भूतल	08	486.14	287.62	5.50	0.25
		प्रथम तल	08	486.14	287.62	5.30	0.25
		द्वितीय तल	08	486.14	287.62	5.10	0.25
		तृतीय तल	08	486.14	287.62	4.90	0.25

नियम एवं शर्तें:- 1. नियत समयावधि में जितना भी पंजीयन प्राप्त होगा, उन सभी पंजीयनकर्ताओं को लॉटरी के माध्यम से प्रति शुक्रवार आबंटन किया जायेगा, यदि पंजीयनकर्ता आबंटित भवन स्वीकार नहीं करते हैं तो पंजीयन राशि में 10 प्रतिशत कटौती पश्चात् शेष पंजीयन राशि वापस किया जावेगा। 2. प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत केन्द्र शासन द्वारा ई.डब्ल्यू.एस. भवनों में रु. 1.50 लाख का नगद अनुदान एवं एल.आई.जी. भवनों में 6 लाख तक के आवास ऋण पर 6.5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दी जावेगी। 3. राज्य शासन द्वारा ई.डब्ल्यू.एस. भवनों हेतु 80 हजार एवं एल.आई.जी. भवनों हेतु 40 हजार का अनुदान अतिरिक्त दिया जायेगा। 4. अन्य नियम एवं शर्तों की जानकारी हेतु संभाग/प्रक्षेत्र कार्यालय महासमुंद अथवा सूचना केन्द्र, शंकर नगर रायपुर/पर्यावास भवन नया रायपुर कार्यालय में सम्पर्क करें।

**सम्पर्क - 9424209076, 9827999119, 9691394848****मकान नहीं घर बनाते हैं - पीढ़ी से पीढ़ियों का रिश्ता बुनते हैं**